न्यूज ब्रीफ

रनचिरई में प्रातः कालीन आवास चैपाल का हुआ आयोजन

बालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी के द्वारा गुरुवार को जिले के गुण्डरदेही विकासखंड के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत रनचिरई में प्रातःकालीन आवास चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान सीइओ चंद्रवंशी ने आवास चौपाल के माध्यम से नवीन स्वीकृत आवास लाभार्थियों के अप्रारंभ आवासों को यथाशीघ्र प्रारंभ करने और निमार्णाधीन अवासों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा। साथ ही लाभार्थियों को उक्त निमार्णाधीन आवासों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिंस्टम सोखता गढ्ढा का निर्माण करने और पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने हेतु प्रोत्साहित भी किया। आवास चौपाल में योजनान्तर्गत लाभार्थियो से चर्चा कर आवास निर्माण से संबंधित समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित अमलों को त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

कौन बनेगा करोड़पति में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर चुकी खनिज अधिकारी की अनूठी पहल स्कूली बच्चों के साथ 'न्योता भोज'

बालोद। कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर अपनी बौद्धिक क्षमता और प्रतिभा का लोहा मनवा चुकीं जिले की खनिज अधिकारी मीनाक्षी साहू ने पूर्व माध्यमिक शाला सिवनी में न्योता भोज का आयोजन कर स्कूली बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। इस आयोजन में न केवल स्वादिष्ट भोजन परोसा गया बल्कि जिले के आला अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन का आनंद लिया। जिससे समानता और आत्मीयता का एक सुंदर संदेश गया। न्योता भोज के इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही। न्योता भोज में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष, एसडीएम सुरेश साहू, प्रतिमा ठाकरे, शिवनाथ बघेल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

अवैध धान भंडारण पर हुई कार्रवाई, दो जगहों पर दबिश, 415 बोरी धान जप्त

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले में अवैध धान भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को बोड़ला तहसील अंतर्गत ग्राम राजानवागांव में राजस्व, मंडी, खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थोक व्यापारी अजय गुप्ता के दुकान से 375 बोरी (150 क्विंटल) एवं होरीलाल पटेल फुटकर व्यापारी के दुकान से 40 बोरी, कुल 415 बोरी लगभग 166 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया एवं मंडी अधिनियम के तहत जब्ती कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बोड़ला सुश्री ऋतु श्रीवास, मंडी उपनिरीक्षक दुर्गेश्वरी धुर्वे, आकांक्षा टोप्पो, मंडी उपनिरीक्षक कमलेश्वरी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक चयनित अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक निर्देश

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 9 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित चयन सूची में जिला गरियाबंद के लिए चयनित सभी वर्गों के आरक्षक (जीडी) एवं आरक्षक ट्रेड (वाहन चालक) के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया की आगामी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को 13 दिसम्बर 2025 को प्रातः 10:00 बजे रक्षित केन्द्र गरियाबंद में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है।

पड़ताल : भाटापारा के धान खरीदी केंद्रों में कई जगहों पर खामियां हुई उजागर

कई पीड़ित किसानों का अरोप, औने-पौने दाम पर बेच रहे धान

कहा–धान खरीदी की लिमिट बढ़ाए शासन, नहीं तो समर्थन मूल्य ये वंचित होंगे हजारों किसान

शंकरलाल सोनी • भाटापारा

9039803601

क्षेत्र के कई धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेने पर चौंकाने वाली विसंगतियां सामने आई है। जहां एक ओर कई किसानों की पीड़ा थी, कि 15 दिनों तक धान खरीदी सोसायटी केंद्र का चक्कर लगाने के बाद मंडी में धान बेचना पड़ा। पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि धान खरीदी लिमिट को बढ़ाया नहीं गया तो शासन के समर्थन मूल्य से धान हेतु हजारों किसान वंचित हो जाएंगे। पीपुल्स संवाददाता ने इसकी पड़ताल की है।

केस नंबर एक : अंत में मंडी में जाकर बेचा धान : किसान प्रहलाद

ग्राम सिंगारपुर सोसायटी केन्द्र अंतर्गत ग्राम गोढी के किसान प्रहलाद पटेल मिले, जहां उन्होंने बताया मैं धान बेचने 15 दिनों से सोसायटी में धान नहीं बेच पाया। कहा, मेरी मां का आकस्मिक निधन होने व कर्ज के बोझ के कारण मजबूरी में भाटापारा कृषि उपज मंडी में 27 कट्टा धान 28.35पैसे किलो के कीमत पर बेचा है।

केस नंबर दो: सोसायटी में बिक्री के रेसो से कटौती: किसान चुन्नू

ग्राम कोणी बंजर सोसायटी केन्द्र अंतर्गत ग्राम कोदवा के छोटा किसान चुन्नू निषाद ने बताया कई दिनों से धान खरीदी केन्द्र कोणी बंजर का चक्कर काट रहा है। परंतु उसे टोकन नहीं मिल।

मजबूरी मे धान कृषि उपज मंडी में जाकर बेचा तो आधार कार्ड व किसान किताब से सोसायटी केन्द्र में जितना धान बाहर मंडी में बेचा उसे काट लिया जाएगा। कहा-अगर मेरे 2500 क्विंटल धान है, उसमे 1000क्विंटल धान बेच दिया तो वहां सोसायटी से माईनस करके रखेगी।

केस नंबर तीन: टोकन कटना है पर बेचने का नंबर नहीं आया:

कोणी बंजर के तिजऊराम ने बताया कि मेरे पास 20 क्विंटल धान है और 18नवम्बर से टोकन कटा है। परंतु धान खरीदी केन्द्र मे धान बेचने का नम्बर नहीं आया गौरतलब है कि किसानों को सोसायटी केन्द्रों से आफलाइन एवं आनलाईन टोकन लेने के बाद 15 दिन से भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि कोनी बंजर सोसायटी केन्द्र मे धान खरीदी का लिमिट 700क्विंटल रखा गया है। धान खरीदी प्रभारी पाटकर द्वारा खाद्य व सहकारिता विभाग को लिखित आवेदन मे 1500 क्विंटल का उल्लेख भी किया गया है।

पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष शर्मा ने कहा–खरीदी का लिमिट बढ़े:

पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष मे धान खरीदी का लिमिट नही बढ़ाया जाएगा तो हजारों किसान समर्थन मूल्य मे धान विक्रय करने से वंचित हो सकते हैं।

पूर्व जनपद पंचायत प्रतिनिधि ने लगाया आरोप:

सुशील शर्मा व पूर्व जनपद पंचायत प्रतिनिधि परमेश्वर वर्मा द्वारा इस बार किसानों के हितों कि अनदेखी का आरोप लगाया है। जिसके कारण धान लिमिट व टोकन कि विसंगति किसानों के साल भर के मेहनत के अर्थिक उपार्जन मे अडचने पैदा कर रही है

निपनिया धान खरीदी केन्द्र में बैठे मिले कर्मचारी व हमाल:

निपनिया धान खरीदी केन्द्र में जमीनी हकीकत जानने पर जाकर देखा गया तो कर्मचारी व हमाल फस्ट हाफ के बाद खाली बैठे थे। कारण पूछे जाने पर धान खरीदी का लिमिट सीमित होने होना बताया। विधायक प्रतिनिधि जितु ठाकुर ने इस बार धान खरीदी मे किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।

निपनिया केंद्र के प्रभारी ने दी ये सफाई:

निपनिया केन्द्र प्रभारी लीलाराम सेन से जानकारी लेने पर बताया गया, 20नवम्बर को जारी टोकन का धान खरीदी 8 दिसम्बर को हुआ। वहीं निपनिया सोसायटी केन्द्र में धान का अभी उठाव नहीं हो पाया है।

> समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर विभिन्न सोसायटियों से रेसों लेकर व निर्धारित वार्किंग डे को ध्यान मे रखकर धान खरीदी का लिमिट सभी सोसायटी केन्द्रों मे निर्धारित किया गया है। अगर सोसायटी केन्द्रों व किसानों के धान खरीदी कि लिमिट बढ़ाए जाने का आवेदन आता है तो शासन व प्रशासन स्तर पर अवगत करा दिया जाएगा।
>
> लक्ष्मण कश्यप,
> खाद्य अधिकारी भाटापारा

जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभावान युवाओं को किया गया सम्मानित

युवा उत्सव : चारों विकासखण्डों में युवा उत्सव सफलतापूर्वक आयोजित

पीपुल्स संवाददाता • कवर्धा

editor@peoplessamachar.co.in

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय युवा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने तथा सांस्कृतिक और साहित्यिक कौशलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चारों विकासखण्डों में विभिन्न तिथियों पर कार्यक्रम संपन्न हुए। विकासखण्ड पंडरिया में 1 दिसंबर को सांस्कृतिक मंगल भवन लोरमी रोड में, बोड़ला में 2 दिसंबर को बांधाटोला मंगल भवन में, चारभांठा में 3 दिसंबर को बाजार चौक में तथा कवर्धा में 04 दिसंबर को नगर पालिका शारदा संगीत महाविद्यालय में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। चारों विकासखण्डों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद 05 दिसंबर 2025 को जिला स्तरीय युवा उत्सव नगर पालिका शारदा संगीत महाविद्यालय, कवर्धा में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चन्द्रवंशी, पार्षद दीपक एवं निर्णायक मंडल के सदस्य राधेश देवांगन, प्रबुद्ध शर्मा एवं हरणदास मानिकपुरी की उपस्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में लोकनृत्य में नीलम चंद्रवंशी एवं साथी (पंडरिया), पंथी नृत्य में अंजु एवं साथी (लोहारा), सुआ नृत्य में रिया एवं साथी (लोहारा), करमा नृत्य में योगेन्द्र दास एवं साथी (लोहारा एवं कवर्धा), राउत नाचा में प्रेम निषाद एवं साथी (कवर्धा), लोकगीत में श्वेता शर्मा एवं साथी (पांडातराई), वाद-विवाद में नीरज चंद्राकर एवं पायल (पांडातराई), कहानी लेखन में करिश्मा साहू (पंडरिया), चित्रकला में अभिलाषा (पंडरिया), कविता लेखन में इशिका चोपड़ा (बोड़ला), नवाचार में दामिनी दांदरे (बोड़ला), एकांकी में नुसरत बानो एवं साथी (पंडरिया) तथा पारंपरिक वेशभूषा में टिकेश्वरी साहू (लोहारा) को सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन को बस्तर संभाग का प्रभारी बनाए गए

बालोद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी छात्र राजनीति की यात्रा आरंभ करने वाले यशवंत जैन को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव एवं संगठन के पवन साय ने पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा की बड़ी जिम्मेदारी महामंत्री की दी और अब उन्हें (बस्तर संभाग) का प्रभारी जो संगठनात्मक संरचना को और मजबूत करेगा की बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व ने सौंपीं है। यशवंत जैन से परिचय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वक्त से हैं, जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बालोद नगर पालिका परिषद् के पूर्व अध्यक्ष राकेश यादव एवं चरामा के नंदकुमार ओझा संगठन की बागडोर संभालने के साथ एवं प्रशिक्षणमें जाकर काफी कुछ सीखा जो आज एक सकारात्मक सोच संग सामने खड़ा है।

बाबा गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव कार्यक्रम के लिए 19 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। संत शिरोमणी बाबा गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव 2025 जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 21 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से जिला मुख्यालय में गुरू घासीदास पुष्पवाटिका सारंगढ़ में किया जायेगा। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय की पारंपरिक लोककला पंथी नृत्य, पंथी गायन कार्यक्रम में भाग लेने वाले दल अपने दल प्रमुख का नाम, मोबाईल नंबर, ग्राम का नाम, प्रतिभागियों की संख्या विवरण सहित जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, शासकीय पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय कॉलेज के पास कोसीर रोड जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 19 दिसंबर 2025 तक जमा कर सकते है। इसके पश्चात कार्यालय द्वारा दूरभाष, मोबाईल से दल प्रमुख को सूचना दिया जाएगा। तत्पश्चात 21 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

1500 गर्भवती माताओं का कराया गया एक साथ पुंसवन संस्कार

बड़ी कामयाबी : बालोद के खाते में एक और विश्व रिकार्ड हुआ दर्ज

पीपुल्स संवाददाता • बालोद

editor@peoplessamachar.co.in

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल नेतृत्व में जिले को मिल रही लगातार उपलब्धियों की फेहरिस्त में आज एक और उलपब्धि जुड़ गई है। कलेक्टर के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला मुख्यालय बालोद के गजानंद पोहा मिल परिसर में आयोजित 108 कुण्डलीय महायज्ञ के अवसर पर बालोद जिले के 1500 गर्भवती माताओं का एक साथ पुंसवन संस्कार किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पाण्डेय ने बताया कि आज गजानंद पोहा मिल परिसर मिल में आयोाजित 108 कुण्डलीय महायज्ञ के दौरान शांति कुंज हरिद्वार से पधारे पंडितों के द्वारा गर्भस्थ शिशु के उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिले के 1500 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार किया गया। उन्होंने बताया कि आज आयोजित 1500 गर्भवती महिलाओं का गोदभराई कार्यक्रम जिले का सबसे वृहद आयोजन था। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व वर्ष 2022-23 में बेमेतरा जिले के सिलहट में 1050 गर्भवती माताओं की एक साथ गोदभराई कार्यक्रम संपन्न किया गया था, जो कि उस समय का विश्व रिकार्ड था। लेकिन आज जिला मुख्यालय बालोद में आयोजित इस वृहद गोदभराई कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से बेमेतरा जिले के पिछले वर्ल्ड रिकार्ड को तोड़ते हुए बालोद जिले ने अपने खाते में एक और वर्ल्ड रिकार्ड दर्ज कर लिया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बालोद जिले को आज प्राप्त इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जिले वासियों को हार्दिक बधाई शुभकानमाएं दी है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उलपब्धि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा गायत्री परिवार से जुड़े सभी सदस्यों के कार्यों एवं योगदानों की भूरी-भूरी सराहना की है।

नागाबुड़ा में 25 लीटर महुआ शराब जब्त, एक गिरफ्तार

नागाबुड़ा में 25.50 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त

पीपुल्स संवाददाता • गरियाबंद

editor@peoplessamachar.co.in

कलेक्टर बीएस उईके के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में गरियाबंद जिले के आबकारी टीम द्वारा कार्यवाही व सघन गश्त के दौरान वृत्त गरियाबंद के अंतर्गत ग्राम नागाबुड़ा में अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ कार्यवाही किया गया। जिसमें आरोपीया दुरपत गुप्ता, पति संतोष गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी नागाबुड़ा थाना गरियाबंद के आधिपत्य से कुल 25.50 लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद कर कब्जे में लिया गया तथा आरोपिया के विरूध्द छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नागेशराज श्रीवास्तव, आबकारी मुख्य आरक्षक चंदलोल गायकवाड़, आबकारी आरक्षक पिताम्बर चौधरी, नगर सैनिक संजय नेताम, मनीष कश्यप, महिला नगर सैनिक हेमबाई साहू, कामिनी सोनी वाहन चालक शैलेन्द्र कश्यप, गोवर्धन सिन्हा का विशेष योगदान रहा।

धान खरीदी के मामले मे बलौदाबाजार जिला दूसरे स्थान

पंजीकृत किसानों के एक-एक दाने की होगी खरीदी : कलेक्टर

पीपुल्स संवाददाता • भाटापारा..।

editor@peoplessamachar.co.in

समर्थन मूल्य मे धान खरीदी केन्द्रो मे धान खरीदी का लीमिट बढाये जाने आवेदन पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौपा गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्तमान स्थिति में कूपन कटने में अनेक कठिनाइयों के कारण किसान अपने धान बेचने मे असमर्थ और असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करने के खरीदी लिमिट सीमित होने से किसानों को धान विक्रय मे समस्या को लेकर अवगत कराया गया। वर्तमान परिस्थिति मे किसानों के हितों को ध्यान मे रखते धान खरीदी लिमिट व लघु किसानों को पहले विक्रय हेतु विशेष महत्व दिए जाने का उल्लेख किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने पत्रकारों के द्वारा समर्थन मूल्य धान खरीदी मे धान कि लीमिट सीमित किये जाने के मामले मे कहा कि पंजीकृत किसानों के साल भर कि मेहनत के कृषि उपज धान के एक एक दाना को सभी सोसायटी केन्द्रों मे खरीदी किया जायेगा कलेक्टर दीपक सोनी ने पत्रकारों को बताया, जिन धान खरीदी सोसायटी केन्द्रों मे 80प्रतिशत धान विक्रय का अपलोड हो गया वहां धान खरीदी का लीमिट बढा दिया गया। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर 1.36 क्विंटल से 1. 57 लीमिट बढ़ाया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि जो सोसायटी धान खरीदी को लेकर ज्यादा से ज्यादा किसानों के धानों का फोटोग्राफी करेगी।

पंजीयन के लिये भटक रहे किसान

धान खरीदी के 25 दिन गुजर जाने के बाद भी बहुत से किसान समर्थन मूल्य मे धान विक्रय किये जाने हेतु पंजीयन हेतु ग्राम बम्हनीडीह के किसान कलेक्टर कार्यालय मे चक्कर काटते नजर आये जो कि एकाकृत पंजीयन जब तक पोरी मे दर्ज नहीं होगा तब तक किसान धान नहीं बेच पायेंगा जो कि सोसायटी से पंजीकृत किया जाना बताया गया धान खरीदी के मामले मे बलौदाबाजार जिला दूसरे स्थान मे...कलेक्टर-कलेक्टर दीपक सोनी ने पत्रकारों को जानकारी मे बताया कि राज्य मे समर्थन मूल्य मे धान खरीदी के मामले मे बलौदाबाजार भाटापारा जिला राज्य मे दूसरे स्थान पर है वही महासमुंद को पहला स्थान बताया गया

कार्यालय कलेक्टर, रायपुर रायपुर (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-:: **अधिसूचना** ::-

धारा – 04, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

क्र./1945/भू–अर्जन/2025 रायपुर, दिनांक 24.11.2025

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2023 की धारा 04 में सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आशयित है, अर्थात् :–

भूमि का विवरण					लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	
1	2	3	4	5	6
रायपुर	खरोरा	भरुवाडीह कला, प.ह.नं. 33	कुल खसरा 28	कुल रकवा 0.5071 हेक्टेयर	मोहरेंगा से कठिया (मोहरा) मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण पुल–पुलिया सहित निर्माण कार्य हेतु
योग				0.5071 हेक्टे.	

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु समाजिक सामाधात निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई दिनांक 29.12.25 को समय 11:30 बजे स्थान पंचायत भवन भरूवाडीहकलां नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

01. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : सड़क एवं पुल–पुलिया निर्माण
02. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 28
03. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : निरंक
04. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
05. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
06. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है : हॉ
07. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है : हॉ
08. परियोजना की कुल लागत : निरंक
09. परियोजना से होने वाला लाभ : सुगम यातायात
10. प्रस्तावित सामाजिक सामाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : 5.00 लाख
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी देना हो तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कलेक्टर, रायपुर एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

252605386/2

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: छठी मंजिल, केआईएफएस कॉपोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस,
इस्कॉन – आंबली रोड, आंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
कॉपोरेट कार्यालय: सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत, फोन नंबर: +91 22 61796400,
ईमेल: contact@kifshousing.com वेबसाइट: www.kifshousing.com सीआईएन: U65922GJ2015PLC085079 आरबीआई सीओआर: DOR-00145

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं/गारंटरों द्वारा केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तिथियों पर बकाया शेष राशि के साथ एनपीए बन गए हैं। हमने आपको पावती सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित तिथि का विस्तृत मांग नोटिस पहले ही जारी कर दिया है, जो बिना सुपुर्द किए/पावती प्राप्त न होने पर वापस आ गया है। यदि आप 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो हमने अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने का इरादा व्यक्त किया है। यदि आप ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और सरफेसी अधिनियम के तहत आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से, कब्जा नोटिस/नीलामी नोटिस प्रकाशित करते समय, बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण नीचे दिए गए हैं :-

स. क्र.	शाखा/आवेदन संख्या/ एलआरएन	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम और एनपीए की तिथि	मांग सूचना तिथि बकाया राशि	सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण:
1	रायपुर/ 25252/ LNHLRAI01 5824	1. गोवारी गोवारी (आवेदक) 2. किसनतीन बाई सोरी (सह-आवेदक) एनपीए: 10 नवम्बर, 2025	मांग सूचना दिनांक : 03 दिसम्बर, 2025 O/s.: रु.1035951/-	पुराने खसरा नंबर 499/1 का हिस्सा, नये डायवर्टेड खसरा नंबर का नवीनीकरण 499/15, वार्ड क्रमांक 10 गुरु घाशी दास वार्ड, जैतखाम के पास, छुरा 493996, रायपुर, छत्तीसगढ़, 493996 भारत बिक्री विलेख के अनुसार :- पूर्व- चोवा लाई पहाड़िया की भूमि, पश्चिम :- दिनेश कुमार की भूमि, उत्तर :- रजत कुकरेजा की भूमि, दक्षिण :-कच्ची रास्ता स्थल के अनुसार :- पूर्व1 :-चोवा लाल पहाड़िया की भूमि,पश्चिम1 :-निमार्णाधीन दिनेश कुमार मरकाम का घर, उत्तरी :- रजत की संपत्ति

उपर्युक्त उधारकताओं/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक एवं पूर्ण विवरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि ब्याज और लागत आदि का भुगतान करें।

दिनांक : 12.12.2025
स्थान : छत्तीसगढ़

हस्ते/- अधिकृत अधिकारी,
केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट IV-A- ई-नीलामी-अचल संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित
पंजी.कार्या.: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
बी.ओ. रायपुर : ऑफिस नंबर 301, 28/620, नीले आइकॉनिक, अननेम्ड, शंकर नगर, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़

आम जनता और खास तौर पर कॉलम नंबर-A में बताए गए कर्जदार(यों) और गारंटर(यों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टी, जो कॉलम नंबर-D में बताई गई है और सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास मॉर्गेज/चार्ज की गई है, जिसका कंस्ट्रक्टिव/फिजिकल पजेशन (जैसा कि कॉलम नंबर-C में बताया गया है) मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ले लिया है, उसे नीचे दी गई डिटेल्स के अनुसार जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है और जो कुछ भी है उसका आधार"के आधार पर बेचा जाएगा। नियम-8(6) और 9 के तहत कॉलम नंबर-A में बताए गए संबंधित कर्जदार(यों)/संरक्षक(यों)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात हों या अज्ञात), एग्जीक्यूटर(यों), एडमिनिस्ट्रेटर(यों), उत्तराधिकारी(यों), संबंधित कर्जदारों/मॉर्गेजर(यों) (अब मर चुके हैं) के असाइनी(यों) को यह नोटिस दिया जाता है, जैसा भी मामला हो। सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002 के अनुसार, आज की तारीख तक बदलाव किए गए हैं। बिक्री के डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com. पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या/ऋणकर्ता का नाम/सह-ऋणकर्ता/ जमानतदार (रों)/कानूनी वारिस (A)	मांग राशि एवं दिनांक (B)	कब्जे का प्रकार (C)	बंधक संपत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (10% आरपी) (F)	बोली प्रस्ताव की अंतिम दिनांक (G)	बोली वृद्धि दर (H)	निरीक्षण दिनांक एवं समय (I)	नीलामी समय एवं दिनांक (J)	ज्ञात भार/अदलती मामले यदि कोई हो (K)
HOU/RAI/0120/770365 एमडी असलम अली/अजमेरी खातून, बी.ओ. रायपुर	रु. 2744625.01 & 16-02-2023	भौतिक कब्जा	अपार्टमेंट नं 501 ब्लॉक नं ई, 5वीं मंजिल, केएच नं 303/15 303/2 303/10 का हिस्सा, सायो विला और अपार्टमेंट फेज II, कुम्हारी दुर्ग, छत्तीसगढ़ - 491001, भारत।	रु. 829000	रु. 82900	26-12-25	रु. 10000	19-12-2025 12:00pm to 04:00pm	27-12-2025 2PM to 03:00PM	ज्ञात नहीं

*इसके साथ ही, पेमेंट और/या उसके मिलने की तारीख तक हुए @18% ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, चार्ज वगैरह। ** मे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऑथराइज्ड ऑफिसर की सबसे अच्छी जानकारी और जानकारी के अनुसार, ऊपर बताई गई अचल/सिक्योर्ड एसेट्स के संबंध में कॉलम नंबर-K में बताई गई बातों के अलावा कोई और बोझ/क्लेम नहीं है। इसके अलावा, ऐसे बोझों का ध्यान/भुगतान सफल खरीदार/बोली लगाने वाले को अपनी तरफ से करना होगा। होने वाले खरीदारों/बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे बताए गए बोझों की सच्चाई खुद से पता करें। (1.) आज की तारीख तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने और/या अदालती निषेधाज्ञा का कोई आदेश नही है और स्थिति का उल्लेख कॉलम-के में किया गया है। (2.) भावी खरीददार/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम नंबर-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलीलों का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि कोई हो। इसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उससे संबंधित शीर्षक के दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने अथवा प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में स्वयं को संतुष्ट कर लें। बोलीदाता(ओं) को बोली फॉर्म के साथ इस नीलामी की शर्तों व नियमों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3.) कृपया नोट करें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार बोलीदाता(ओं)/क्रेता बिक्री मूल्य की राशि का 25% (बयाना राशि सहित) उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही बोलीदाता(ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। बिक्री की शेष 75% राशि खरीददार को बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी और ऐसे जमा के अभाव में, अधिकृत अधिकारी बिक्री पुष्टि पत्र में उल्लिखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिक्री विचार राशि के आंशिक भुगतान को जब्त कर लेगा और संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) मे. सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में अधिकृत अधिकारी की सहायता करेगी, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन या बिड डॉक्यूमेंट्स पाने और किसी भी दूसरे सवाल या रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको विवेक लोढ़ा टोल फ्री नंबर - 1800 120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com,जो PNBHFL के ऑथराइज्ड पर्सन हैं, से कोऑर्डिनेट करना होगा या www.pnbhousing.com देखें।

स्थान : रायपुर दिनांक : 12.12.2025

हस्ते/- अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड